भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1477

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग पथकर से किसानों को छूट

1477. डॉ. के. सुधाकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर कृषि उपज को गंतव्य तक ले जाने वाले किसानों को पथकर (टोल) का भुगतान करने से छूट देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए संपर्क सड़कों की गुणवत्ता उच्चतम श्रेणी की होना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में राज्य राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों सहित सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के संबंध में कोई समान मानक उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के विशेष संदर्भ में सड़कें किस सीमा तक आपदा प्रबंधन और त्वरित अनुक्रिया सुविधा के लिए सुसज्जित हैं; और

(ङ) देश में सीमावर्ती सड़के विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, ट्रैक्टरों और पशु-चालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टरों और पशु-चालित वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग के उस खंड का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के बदले में सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है।

(ख) और (ग) ग्रामीण सड़कों के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पीएमजीएसवाई के तहत गुणवत्तापूर्ण सड़क कार्यों के निर्माण और सड़क परिसंपत्तियों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है।

राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का निर्माण और रखरखाव सरकार और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा निर्दिष्ट मानकों और विनिर्देशों के अनुसार किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो।

इसके अलावा, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, निर्माण स्थल (साइट) पर कार्यों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए परियोजना-विशिष्ट आधार पर पर्यवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं। ऐसी जांच/पर्यवेक्षण के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसे ठेकेदारों के संज्ञान में लाया जाता है, ताकि वे अपने खर्च पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर सकें।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार/रियायतग्राही को परियोजना के निष्पादन के तरीके (मोड) के आधार पर 5 से 15 वर्षों की अवधि के लिए दोष देयता/परियोजना के रखरखाव के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़कों और संरचनाओं के डिजाइन में पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त जनशक्ति और मशीनरी से लैस आपातकालीन कार्रवाई दल तैनात किए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने शुल्क प्लाजा पर 24x7 आधार पर एम्बुलेंस, गश्ती वाहन और क्रेन जैसी आपातकालीन सेवाओं का प्रावधान किया है। एनएचएआई द्वारा स्थापित हेल्पलाइन नंबर 1033 आपातकालीन सेवाओं के बारे में चिंताओं सहित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए तैयार की गई है। हेल्पलाइन 24x7 संचालित होती है और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाती है।

(ड.) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) की स्थापना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचना के निर्माण को गति देने के लिए की गई थी। व्यापक संपर्कता के लिए सड़क परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित किया गया है और इन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), एनएचआईडीसीएल और संबंधित राज्य पीडब्ल्यूडी जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

*****